(iii) RESTRICTIONS ON INTER-STATE TRADE.

**श्री रामजी लाल सुमन** (फिरोज़ाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत आपातकालीन अध्यादेश द्वारा बेकार बनाये गये लोगों की तरफ़ इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह अध्यादेश 5 फरवरी, 1977 को व्यवहार में आया। इस के द्वारा बम्बई, अहमदाबाद, ग्वालियर और कानपुर में कैसटर-सीड, अलसी और सिल्वर का जो व्यापार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के तेहत फार्वर्ड-मार्केट-कमीशन के सेन्टर' पर चलता था, उस को समाप्त कर दिया गया था। उस समय केन्द्रीय सरकार के तेहत लीगल व्यापार चार जगहों पर चलता था, लेकिन अब इस अध्यादेश के अमल में आने की वजह से सैकड़ों जगह अवैध व्यापार चल रहा है और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। सैकड़ों परिवार इस अध्यादेश से प्रभावित हैं, साथ ही साथ अवैध व्यापार को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है, वह एक विचारणीय सवाल है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दिल्ली की सरकार को बराबर इस बारे में लिखा है और उन के अधिकृत प्रतिनिधियों ने संसद सदस्यों के माध्यम से तथा अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से सरकार को इस बारे में जानकारी दी है। दांतवाला कमीशन की रिपोर्ट भी सरकार के समक्ष है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि अभी भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ज़ोरदार प्रयास नहीं किया है। इस सम्मानित सदन के 34 लोकसभा सदस्यों ने भी इस अध्यादेश की समाप्ति के लिये सरकार को लिखा है और बताया है कि इस अध्यादेश के चलते, तमाम लोग बेकार हो रहे हैं और अवैध व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, 13 महीनों में जो कुछ हुआ, वह बड़े दुख की बात है। काले दिनों में जो काला कानून बनाया गया, यह आवश्यक है कि सरकार तुरन्त उस कानून को वापस ले और जो अवैध व्यापार चल रहा है और जो सैकड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, शायद मंत्री महोदय इसके बारे में नहीं जानते हैं, मंत्री महोदय जी को इस की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और निश्चित रूप से ऐसा कानून बनाना चाहिये, जिस के द्वारा वैध व्यापार शुरू हो और अवैध व्यापार रुक सके।

(iv) REPORTED TAKING OFF OF AN AIRBUS FROM BOMBAY AIRPORT IN VIOLATION OF SECURITY REGULATIONS.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I rise to call the attention of this House to what I consider to be a very shocking incident which took place yesterday. It has been reported in the press-today's *Statesman* carries the news—that an airbus took off from Bombay yesterday in complete violation of security regulations.

The security regulations with which the airlines are absolutely strict stipulate that unaccompanied baggage should not be carried in the aircraft. The reason is so clear. An un-accompanied baggage can possibly contain a time-bomb or a grenade, some explosive something like that. Somebody can push it in and go away. If it is put in the aircraft, the aircraft may explode. It so happened that the baggage belonging to four passengers was in the aircraft and the aircraft took off without those four passengers. The pilot knew that the aircraft was without those passengers and still took off.

The anti-hijack staff and the security staff took objection. It is reported that they informed the airlines and contacted the control tower. It has got to be explained how it is that the pilot took off. I have experience and some other members will also be having experience of an Airbus being delayed for one or two hours. When an attempt was made to take off, the passengers protested that they would not travel by that air-